अध्याय–7

अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप–लोकायुक्त ऑम्बुड्समैन सम्मेलन

प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त सम्मेलन 26 मई से 30 मई, 1986 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में, **द्वितीय सम्मेलन** 22 अगस्त से 24 अगस्त, 1989 को नागपुर (महाराष्ट्र) में तथा **तृतीय सम्मेलन** 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 1991 को जुबिली हाल, पब्लिक गार्डन्स व आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त संस्था के भवन, हैदराबाद में सम्पन्न हुआ।

चौथा सम्मेलन 7 मार्च, 1995 को गुरूजादा हाल, ए.पी.भवन, नई दिल्ली में तथा **पांचवा सम्मेलन** 10 व 11 फरवरी, 1996 को गांधीनगर (गुजरात) में सम्पन्न हुआ।

छठा सम्मेलन दिनांक 22 एवं 23 जनवरी, 2001 को पार्लियामेंट एनेक्सी, नई दिल्ली एवं दिल्ली सचिवालय में सम्पन्न हुआ।

सातवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप–लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन–2003 (बैंगलोर) दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2003 को बैंक्वेट हॉल, विधान सौधा, बैंगलोर में सम्पन्न हुआ।

आठवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप–लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन–2004 दिनांक 27 से 29 सितम्बर, 2004 को देहरादून में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए. पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। सम्मेलन का समापन समारोह को माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा सम्बोधित किया गया।

सम्मेलन को अन्य विशिष्टजनों के अतिरिक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.जगन्नाधा राव, तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग ने भी सम्बोधित किया जिन्होंने लोकायुक्त संस्था को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने एवं केन्द्रीय लोकायुक्त विधि बनाये जाने पर दिया।

यह पहला अवसर था जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकायुक्त सम्मेलन को सम्बोधित किया गया।

नवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप–लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मलेन–2007 दिनांक 22 व 23 सितम्बर, 2007 को बैंगलोर में सम्पन्न हुआ जिसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री के.जी.बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया।

समारोह का समापन माननीय श्री शिवराज पाटील, तत्कालीन गृहमंत्री, भारत सरकार ने अपने भाषण से किया।

10वां सम्मेलन दिनांक 9 व 10 अक्टूबर, 2010 को भोपाल में आयोजित किया गया।

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदास्थापना अवधि

लोकायुक्त			
क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.8.1973	27.8.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.8.1978	5.8.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.8.1979	7.8.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	4.4.1984	3.1.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	4.1.1985	3.1.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.1.1990	6.3.1990
7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.8.1990	30.9.1993
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.1.1994	16.2.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.7.1994	6.7.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	1.5.2007	निरन्तर
उप-लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	5.6.1973	25.6.1974

* कार्यवाहक लोकायुक्त।

- लोकायुक्त का पद 8.8.82 से 3.8.84 तक, 4.1.90 से 15.1.90 तक, 7.3.90 से 9.8.90, 1.10.93 से 20.1.94 तक, 17.2.94 से 5.7.94 तक, 7.7.99 से 25.11.99 तक एवं 27.11.04 से 30.4.07 तक रिक्त रहा है।

उप लोकायुक्त का पद श्री के.पी.यू.मेनन के दिनांक 25.6.74 को त्याग पत्र दिये जाने के बाद से निरन्तर रिक्त चला आ रहा है।

महामहिम राज्यपाल श्री शिवराज पाटील को दिनांक 25.1.12 को 26वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए

29.4.11 को झालावाड़ में आयोजित जनसुनवाई/गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के छायाचित्र

लोकायुक्त सचिवालय
राजस्थान, जयपुर

26.5.11 को पाली में आयोजित जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक का छायाचित्र

27.5.11 को सिरोही में आयोजित कैम्प में जनसुनवाई का छायाचित्र

30.5.11 को जालौर में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक का छायाचित्र

जनसुनवाई/गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठकों के संदर्भ में अखबारों की न्यूज की कटिंग्स

दैनिक राजस्थान पत्रिका

दिनांक 30-04-2011

लोकायुक्त ने की जनसुनवाई | **बिना रुपए काम नहीं करने की शिकायत**

'कहीं न कहीं तो गड़बड़ है'

पत्रिका संवाददाता @ झालावाड़

लोकायुक्त जीएल गुप्ता ने शुक्रवार को यहां सर्किट हाऊस में करीब एक घंटे तक जनसुनवाई की। इसके बाद अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में लोकायुक्त के तेवर देख अधिकारी सन्न रह गए।

मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक में स्वयंसेवी संगठनों के साथ जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि करीब-करीब सभी ने जिले में अधिकारियों द्वारा बिना रुपए के काम नहीं करने की शिकायत की। उनकी शिकायत सुनकर मुझे बड़ी शर्म आई। इसका आखिर मैं उन्हें क्या जवाब देता? उन्होंने कहा हो सकता है कि कई अधिकारी इसमें शामिल नहीं हों, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है।

झालावाड़ सर्किट हाऊस में शुक्रवार को जन शिकायतें सुनते लोकायुक्त जीएल गुप्ता (बाएं) साथ में सचिव आरके बंसल। पत्रिका

परेशानी सुनें व समझें

लोकायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी संवेदनशील रहकर लोगों की परेशानी सुनें एवं समझें, ताकि उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिले।

पढ़ें कहीं @ पेज 17

कहीं...

अधिकारियों को कार्यशैली बदलनी चाहिए। उन्होंने मुख्यालयों से प्राप्त शिकायती पत्रों के जवाब की सूचना समय पर भिजवाने को कहा। उन्होंने कहा कि जितनी भी जांच होती है, सभी गोपनीय रहती है। जिला कलक्टर रोहित गुप्ता ने उन्हें एकल खिड़की योजना के बारे में बताया। लोकायुक्त ने जिला पुलिस अधीक्षक हिंगलाज दान से पुलिस के कामकाज की जानकारी ली।

15 शिकायतें मिली : लोकायुक्त ने बताया कि दोपहर तक 15 शिकायत पत्र प्राप्त हुए। सर्वाधिक राजस्व से जुड़े हैं। नगरपालिका व शिक्षा संबंधी शिकायतें भी मिली हैं। लोग लोकायुक्त कार्यालय के पते पर भी कार्रवाई के लिए पत्र भेज सकते हैं।

'बड़ा हथियार है सूचना का अधिकार' : लोकायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में सूचना का अधिकार बड़ा हथियार है। लोकायुक्त कार्यालय में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क शिकायत दर्ज करवा सकता है, लेकिन शिकायत के साथ सबूत आवश्यक हैं। पर्याप्त सबूत होने पर वे भ्रष्टाचार के मामले में भी कार्रवाई करते हैं। ऐसे मामलों में सबूतों के साथ शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जाते हैं। दोषी पक्ष के भी बयान दर्ज किए जाते हैं। कर्मचारी के दोषी होने पर विभाग के उच्चाधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित करते हैं।

दैनिक भास्कर कोटा

दिनांक 30-04-2011

लोकायुक्त ने शिकायतें सुनी, दिए आश्वासन

लोकायुक्त जीएल गुप्ता ने सर्किट हाउस में की जनसुनवाई

झालावाड़. सर्किट हाउस में शिकायतें सुनते लोकायुक्त।

भास्कर न्यूज | झालावाड़

राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति जीएल गुप्ता ने कहा कि 15-20 मामलों की शिकायतें उनको मिली है, जिन्हें रिकॉर्ड में लेने के बाद गंभीरता की जांच की जाएगी। मामले सही पाए गए तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह बात शुक्रवार को झालावाड़ सर्किट हाऊस में लोगों की सुनवाई के बाद पत्रकारों से कही। लोकायुक्त ने बताया कि इसमें सुनवाई के दौरान ज्यादातर रेवेन्यू से जुड़े मामले सामने आए हैं। शेष | पेज 12

कार्य शैली में बदलाव लाएं

लोकायुक्त न्यायमूर्ति जीएल गुप्ता एवं सचिव लोकायुक्त आरके बंसल ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों को उनकी कार्यशैली में बदलाव लाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी का फर्ज है कि वे संवेदनशील रहकर लोगों की परेशानियों को ध्यान से सुने एवं समझें ताकि उन्हें शिकायत का मौका ही नहीं मिले। इस माहौल में हमारी कार्यशैली को बदलना चाहिए तथा अपने आप में परिवर्तन करें और स्टाफ में भी परिवर्तन लाएं। लोकायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि विभाग के मुख्यालयों से प्राप्त होने वाले शिकायती पत्रों के जवाब की सूचना समय पर भिजवाई जानी चाहिए। जितनी जांच होती है सभी गोपनीय रहती है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पर अधिकारी को नाराज नहीं होना चाहिए। अधिकारी अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने आप को गरीब व्यक्ति की जगह खड़ा करके देखें और लोगों की सहायता का पूरा प्रयास करें। उन्होंने सुगम खिड़की योजना के कार्य के बारे में जानकारी चाही तो कलेक्टर रोहित गुप्ता ने उसकी कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। लोकायुक्त ने पुलिस विभाग से एसपी से चर्चा की।

मामले सही पाए गए...

इनमें आठ साल पूर्व आवंटित की गई भूमि के कागजात देने के बाद व्यक्ति को कब्जा नहीं दिलाने, झालावाड़ की एक कॉलोनी में पालिका की जमीन खुर्द-बुर्द करने, झालरापाटन नगर पालिका क्षेत्र में सड़क की भूमि को बेचान कर देने तथा प्रबोधकों को नियुक्ति देने में शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा पक्षपात करने की शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा अन्य बातें भी सामने आई हैं, जिन्हें रिकॉर्ड में लेने के बाद उनकी जांच की जाएगी। मामले सही पाए जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। यहां पर लोगों ने उनकी समस्याएं हल कराने के प्रति रुझान दिखाया है। उनके साथ सचिव आरके बंसल आरएचजेएस थे। इससे पूर्व उन्होंने बैठक की जिसमें वरिष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि व स्वयं संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जेनेरिक दवा नहीं लिखते

लोकायुक्त गुप्ता के सामने डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक दवाइयां नहीं लिखने से गरीब परिवार के लोगों को आ रही परेशानी की समस्या भी रखी। लोगों का कहना था कि इस मामले को पूर्व में भी उठाया गया है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। अस्पताल में गंभीर वितीय व नियुक्ति देने में बरती गई अनियमितता की

लोकसेवक जनसेवक बन कार्य करें-गुप्ता

कार्यालय संवाददाता @ अलवर

लोकायुक्त न्यायमूर्ति जी.एल.गुप्ता ने यहां जिला कलक्ट्रेट के सभागार में हुई बैठक में कहा है कि लोक सेवकों को जनसेवक बनकर लोगों के कार्य समय पर पूरे करने चाहिए। इसके लिए जरुरी है कि लोकसेवक सजगता से कार्य कर अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य के प्रति तत्पर रहने की प्रेरणा दें।

उन्होंने कहा कि लोकायुक्त सचिवालय के उद्श्यों पर लोकसेवकों को खरा उतरने की जरुरत है। उद्देश्य पूर्ति के साथ ही अधिकारियों को भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकायुक्त की ओर से मांगी जाने वाली रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाए और तत्काल सचिवालय भिजवाई जाए। रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर लोकायुक्त सचिवालय की ओर से संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में अनावश्यक समय लगने के साथ ही प्राप्त शिकायतों की जांच समय पर पूरी नहीं हो पाती। इससे शिकायतकर्ता को समय पर राहत पहुंचाना भी संभव नहीं हो पाता। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय राजेन्द्र सिंह कैन ने कहा कि लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त शिकायतों की जांच समय पर कर भिजवाई जाएगी।

सुनवाई

लोकायुक्त जीएल गुप्ता मंगलवार को अलवर आए

सर्किट हाउस में एनजीओ और आमजन की शिकायतों को सुना

बंद कमरे में सुनी शिकायतें

कार्यालय संवाददाता @ अलवर

अन्ना हजारे की मुहिम में अलवर भी पूरी तरह से शामिल नजर आ रहा है। सरकारी महकमों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने मंगलवार को सर्किट हाउस में काफी संख्या में लोग लोकायुक्त से मिलने पहुंचे। लोकायुक्त जीएल गुप्ता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी इन आवाजों को बंद कमरे में गोपनीय तरीके से सुना। पुलिस जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लोकायुक्त ने सर्किट हाउस के हॉल में बैठकर पहले स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) और उसके बाद आमजन की शिकायतों को सुना। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अशोक जैन, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) राजेन्द्र सिंह कैन, एसडीएम प्रतिभा पारीक, डीएसपी सुरेन्द्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे।

अलवर. सर्किट हाउस में जनसुनवाई करते लोकायुक्त जीएल गुप्ता।

ये शिकायतें आई सामने

अलवर जिले 27 स्वयंसेवी संस्थाओं ने वर्ष 2006-07 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा इससे पूर्व समन्वित जल एवं स्वच्छता परियोजना में भी कार्य किया था। इस कार्य का लाखों रुपया जिला परिषद अलवर की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है।

दी बारा क्वेरी लेबर कांट्रेक्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, बारा भड़कोल के कुंदनलाल, जयराम सहित काफी सदस्यों ने शिकायत दी कि समिति के कार्यालय भवन पर नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में शिकायत दी गई। इंद्रा शिक्षा प्रसार समिति की ओर से अरबन आरसीएच केन्द्र लालखान अखैपुरा का नौ माह का भुगतान नहीं देने की शिकायत दी गई। भारतीय किसान संघ ने मुण्डावर के गांव सिरोड खुर्द में किसानों की सामलाती भूमि पर व्यक्ति विशेष पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त को शिकायत दी। इसके अलावा दलित अधिकार मंच, जिला अलवर की ओर से लोकायुक्त को छह सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया।

सशक्त माध्यम हो सकता है : लोकायुक्त

लोकायुक्त जीएल गुप्ता ने कहा कि अन्ना हजारे की ओर से चलाई जा रही मुहिम देश में से भ्रष्टाचार को मिटाने में सशक्त माध्यम साबित हो सकती है, लेकिन कानून बनने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। वे मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

लोकायुक्त गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार व कामकाज नहीं होने की शिकायतों को दर्ज कर शिकायतकर्ता को सूचना दी जाती है। यदि मामला संदिग्ध पाया जाता है तो जांच शुरू कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि उनके यहां रेवेन्यू, पुलिस और यूडीएच सहित अन्य विभागों की हर माह करीब 100 शिकायतें आती हैं। इनमें रिश्वत मांगने व काम नहीं करने की शिकायतें होती हैं। सभी शिकायतों की गोपनीय तरीके से जांच की जाती है। करीब चार साल पहले लोकायुक्त के पास 3100 मामले लम्बित थे, लेकिन फिलहाल करीब 1200 मामले लम्बित हैं।

दै. नवज्योति, उदयपुर

9-9-2011

बांसवाड़ा में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करते लोकायुक्त जी. एल. गुप्ता। फोटो-दीपक भारत श्रीमाल

कानूनी जानकारी आज के युग की महती आवश्यकता

लोकायुक्त ने संस्थाओं के प्रतिनिधियों से की चर्चा

न्यूज सर्विस

बांसवाड़ा, 8 सितम्बर। लोकायुक्त जी. एल. गुप्ता ने गुरूवार को बांसवाड़ा के सर्किट हाऊस में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ लम्बी चर्चा की। गुप्ता ने लोकायुक्त की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से जानना चाहा कि इस जिले में किस तरह के भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार चुनौती सा बन गया है लेकिन इसके पीछे कहीं न कही हम भी दोषी हैं क्योंकि हम कानूनों की जानकारी और जागरूकता नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षित होना और कानून की जानकारी रखना आज के युग की महती आवश्यकता है। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गोपाल पण्ड्या ने अधिकारिय़ों की कार्यशैली, कोदरलाल बुनकर ने संस्थाओं की अनदेखी जैसे मामले उठाएं। नवसार्थक फाउण्डेशन के मनीष त्रिवेदी ने बताया कि जनजाति बहुल एवं पिछडा क्षेत्र होने के बावजूद अब लोगों में काफी जागरूकता आई है। इस अवसर पर महेन्द्रपाल शर्मा ने संस्थाओं ,की ओर से लोकायुक्त का स्वागत किया। दूसरे दौर में गुप्ता ने लोगों की शिकायतें सुनी और 17 प्रकरण दर्ज किये। गुप्ता के हाथो-हाथ काम निपटाने की प्रवृति इस दौरान रंग लाई। उन्होंने कई शिकायतकर्ताओं की शिकायत के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की जानकारी दूरभाष पर लेकर उन्हें दी तो लोग अभिभूत हो उठे। इससे पूर्व जिला कलक्टर अशोक भण्डारी एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. अमनदीप सिंह कपूर ने सर्किट हाऊस पहुंचने पर गुप्ता का स्वागत किया। इसके पश्चात् गुप्ता ने शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन किये और पालोदा होते हुए उदयपुर के लिये प्रस्थान कर गये।

सड़कों की दुर्दशा पर दिये निर्देश

लोकायुक्त गोपाललाल गुप्ता को बांसवाड़ा की बदहाल सड़कों पर काफी तरस आया। जिले की सड़कों की बदहाली को लेकर उन्होंने सर्किट हाऊस पहुंचते ही चुटकी ली कि ये सड़कें ही बताती है कि यहां भ्रष्टाचार किस सीमा तक है। इस सम्बन्ध में गुप्ता ने तत्काल उच्चाधिकारियों से भी बातचीत करते हुए उन्हें हिदायत दी कि वे भविष्य में निर्माण में गुणवत्ता का पूरा-पूरा ध्यान रखें।

अन्ना का रंग नहीं !

हाल ही में हुए अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद लोकायुक्त के बांसवाड़ा यात्रा के क्रम में जब उनसे पूछा गया कि कहीं उनकी यह यात्रा अन्ना हजारे के रंग की तो नहीं है। इस पर गुप्ता ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वे राज्य के कई जिलों में दौरा कर चुके हैं और आमजन को लोकायुक्त प्रणाली की जानकारी हो इसके वे प्रयास कर रहे हैं।

जैसलमेर

लोकायुक्त ने दी अधिकारियों को सीख

कहा : गंभीर रहें सरकारी काम-काज को लेकर

जैसलमेर. लोकायुक्त की बैठक में भाग लेते अधिकारी।

जैसलमेर. बैठक को संबोधित करते लोकायुक्त ।

भास्कर न्यूज | जैसलमेर

राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति जी.एल. गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि लोकायुक्त से प्राप्त पत्रों के प्रति गंभीर रहें तथा तत्काल प्रत्युत्तर देने की आदत डालें।वे मंगलवार को जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। लोकायुक्त ने अधिकारियों को लोकायुक्त सचिवालय के उद्देश्यों, अधिकारों, कार्यप्रणाली आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि लोकायुक्त से जो भी पत्र और टिप्पणियां उन तक पहुंचे, बिना किसी विलंब के उनका तत्काल और सही-सही जवाब भिजवाएं। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त संस्था की ओर से शिकायतों पर विभिन्न स्तरों पर पुष्टि व कार्रवाई की व्यवस्था है। अधिकारियों को चाहिए कि वे इससे भयभीत न रहें और सही-सही जानकारी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि झूठी शिकायत पाए जाने के बाद जांच में निर्दोष पाए जाने की स्थिति में अधिकारियों की प्रतिष्ठा बढ़ती ही है और इसका फायदा उन्हें पूरे सेवाकाल में मिलता है।

लोकायुक्त ने कहा कि विभागीय अधिकारी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। लोकसेवक के कामों में लेटलतीफी पर लोकायुक्त कार्रवाई कर सकता है। कलेक्टर महावीरप्रसाद स्वामी ने लोकायुक्त का स्वागत किया और विश्वास दिलाया कि जैसलमेर जिले के अधिकारी लोकायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों पर खरे उतरते हुए लोक सेवा के दायित्वों का निर्वहन करने में पीछे नहीं रहेंगे। बैठक में लोकायुक्त सचिवालय के सचिव आर.के. बंसल, कलेक्टर महावीरप्रसाद स्वामी, एसपी ममता विश्नोई, अतिरिक्त कलेक्टर परशुराम धानका, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवाराम सुथार, उपखण्ड अधिकारी बीपी शर्मा एवं अशोक चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे।

स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली: लोकायुक्त ने मंगलवार को सर्किट हाउस में स्वयंसेवी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और लोकायुक्त संस्था के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में लोगों को जानकारी देने का आह्वान किया। लोकायुक्त न्यायमूर्ति गुप्ता ने स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों से कहा कि वे लोक सेवक के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत हो तो इसे लोकायुक्त संस्था के समक्ष पीड़ित लोगों से प्रस्तुत करवाएं ताकि इस संस्था के माध्यम से उन्हें न्याय दिया जा सके। बैठक में रोटरी क्लब के एल.एन.मेहता, लॉयन्स क्लब के जय नारायण भाटिया, श्री जगदम्बा सेवा समिति भादरिया के लाभूराम, सृजाम्यहम् संस्था के गोपी किशन जोशी के साथ ही अन्य संगठनों के पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।

सर्किट हाउस में की जनसुनवाई

लोकायुक्त ने जैसलमेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त क्षेत्राधिकार के संबंध में जो मामले प्राप्त हुए हैं उनमें जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान फरियादियों ने रामगढ़ के रिहायशी क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसी को रोकने, ग्रामदानी गांव को निरस्त कराने, महानरेगा में ग्रामीणों से करवाए जा रहे कार्य को रोकने , अवैध कब्जे वाली जमीनों को मुक्त कराने, ग्रामसेवा सहकारी समिति के गबन की आवश्यक जांच कराने इत्यादि शिकायतों के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए। जनसुनवाई कार्यक्रम में लोकायुक्त संस्था के सचिव, आर.के.बंसल उपस्थित थे।

ज्यादातर शिकायतें होती हैं झूठी: लोकायुक्त

जैसलमेर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में लोकायुक्त जी.एल. गुप्ता ने कहा कि हमारे पास आने वाली कुल शिकायतों में 40 से 50 प्रतिशत तक बोगस होती हैं। ऐसे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ हमें कार्रवाई करने का अधिकार है। फिलहाल झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ताकि अन्य लोग जिनके शिकायतें वाजिब हों वे इससे हतोत्साहित न हों। गुप्ता ने बताया कि जब उन्होंने ज्वॉइन किया था तब लोकायुक्त के पास 3100 शिकायतें पेंडिंग थी और बाद में 2 हजार और शिकायतें आ गईं। कुल 5100 में से हमने 4200 का निपटारा कर दिया है और वर्तमान में केवल 900 मामले ही पेंडिंग हैं।

लोगों को दें लोकायुक्त संस्था के अधिकारों की जानकारी

जैसलमेर, 27 दिसम्बर। लोकायुक्त जी.एल.गुप्ता ने मंगलवार को जैसलमेर सर्किट हाउस में स्वयंसेवी संगठन के पदाधिकारीगण के साथ बैठक की और लोकायुक्त संस्था के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में क्षेत्र के लोगों को अवगत कराने का आह्वान किया। लोकायुक्त गुप्ता ने स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों से कहा कि वे लोक सेवक के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार सम्बंधी कोई शिकायत हो तो इसे लोकायुक्त संस्था के समक्ष पीड़ित लोगों से प्रस्तुत कराएं ताकि इस संस्था के माध्यम से उन्हें न्याय दिया जा सकें। उन्होंने आशा जताई कि इसमें संगठन अपनी अहम् भूमिका अदा करेंगे। बैठक में रोटरी क्लब के एल.एन.मेहता, लॉयन्स क्लब्र के जय नारायण भाटिया, श्री जगदम्बा सेवा समिति भादरिया के लाभूराम, सुजाम्यम् संस्था के गोपीकिशन जोशी के साथ ही अन्य संगठनों के पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।

लोकायुक्त गुप्ता ने दी अधिकारियों को सीख

न्यूज सर्विस

जैसलमेर, 27 दिसंबर। राजस्थान के लोकायुक्त जी.एल. गुप्ता ने मौजूदा परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्था की आवश्यकता और महत्व को ज्यादा प्रासंगिक निरूपित करते हुए अधिकारियों से कहा है कि लोकायुक्त से प्राप्त पत्रों के प्रति गंभीर रहें तथा तत्काल प्रत्युत्तर देने की आदत डाले। लोकायुक्त न्यायाधीश गुप्ता ने मंगलवार को जैसलमेर जिला कलक्ट्री सभा कक्ष में जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक में यह विचार व्यक्त किए।

जैसलमेर में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते लोकायुक्त गुप्ता।

बैठक में लोकायुक्त सचिवालय के सचिव आर.के. बंसल, जिला कलक्टर महावीरप्रसाद स्वामी, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती ममता विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। लोकायुक्त ने अधिकारियों को लोकायुक्त सचिवालय के उद्देश्यों, अधिकारों, कार्यप्रणाली आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि विभागीय अधिकारियों को चाहिए कि लोकायुक्त से जो भी पत्र और टिप्पणियां उन तक पहुंचे, बिना किसी विलम्ब के उनका तत्काल और सही-सही जवाब भिजवाएं। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त संस्था की ओर से शिकायतों पर विभिन्न स्तरों पर पुष्टि व कार्यवाही की व्यवस्था है। अधिकारियों को चाहिए कि वे इससे भयभीत न रहें और सही-सही जानकारी प्रस्तुत करें। लोकायुक्त ने कहा कि विभागीय अधिकारी पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्त्तव्य पूर्ण करें और राज-काज का निर्वहन निर्धारित समयावधि में जल्द से जल्द पूर्ण करें तथा बेवजह विलम्ब न करें। कलक्टर महावीरप्रसाद स्वामी ने लोकायुक्त न्यायमूर्ति जी.एल. गुप्ता का स्वागत किया और विश्वास दिलाया कि जैसलमेर जिले के अधिकारी लोकायुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों पर खरे उतरते हुए लोक सेवा के दायित्वों का निर्वहन करने में पीछे नहीं रहेंगे।

लोकायुक्त ने सर्किट हाउस में की जनसुनवाई

जैसलमेर, 27 दिसंबर। लोकायुक्त न्यायमूर्ति जी.एल.गुप्ता ने मंगलवार को जैसलमेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान परिवादियों की समस्याएं सुनी और उनके आवेदन-पत्र प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त क्षेत्राधिकार के संबंध में जो मामले प्राप्त हुए हैं उनमें आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। लोकायुक्त गुप्ता द्वारा की गई जनसुनवाई के दौरान परिवादियों-लोगों ने रामगढ़ में रिहायशी क्षेत्र में संचालित गैस एजेन्सी को रोकने, ग्रामदानी गांव को निरस्त कराने, महानरेगा में ग्रामीणों से करवाए जा रहे कार्य को रोकने, अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने, ग्रामसेवा सहकारी समिति के गबन की आवश्यक जांच कराने इत्यादि शिकायतों के संबंध में प्रार्थना-पत्रा प्रस्तुत किए गए। जनसुनवाई कार्यक्रम में लोकायुक्त संस्था के सचिव, आर.के.बंसल उपस्थित थे।

दैनिक महाज्ञान जैसलमेर
26 दिसम्बर, 2011

लोकायुक्त मंगलवार को जैसलमेर में कोई भी पेश कर सकता है परिवाद

जैसलमेर, 25 दिस बर/राजस्थान के लोकायुक्त न्यायमूर्ति जी.एल. गुप्ता की 27 दिस बर, मंगलवार की जैसलमेर यात्रा के दौरान लोकसेवकों के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत को लेकर कोई भी व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसे की जा सकती है शिकायत

इसके लिए शिकायतकर्त्ता को पचास पैसे के न्याय शुल्क टिकट के साथ निर्धारित शिकायत पत्र प्रारूप में परिवाद प्रस्तुत करना होगा। इस शिकायत पत्र में शिकायतकर्त्ता का पूरा नाम, पता, व्यवसाय की जानकारी के साथ हर एक आरोप पूर्ण विवरण के साथ अंकित करना होगा। शिकायत में जिस लोकसेवक के खिलाफशिकायत है उसका नाम एवं पदनाम तथा जो शहादत शिकायत के मुद्दों को साबित करने के लिए पेश होगी, उसका ब्यौरा भी अंकित होना जरूरी है। प्रत्येक शिकायत के साथ तस्दीकशुदा शपथ पत्र होना आवश्यक है।

लोकायुक्त के समक्ष पुलिस की हिरासत में या जेल में या विक्षिप्त व्यक्तियों के आश्रय स्थान से भी लोकायुक्त को शिकायत की जा सकती है। इसके लिए शिकायत संबंधित पुलिस अधिकारी, जेल अथवा आश्रय स्थान के अधिकारी को बिना खोले तत्काल लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है अथवा इसे लोकायुक्त सचिवालय को भेजनी जरूरी है।

जिला कलक्टर ने बताया कि लोकायुक्त संस्था की जानकारी तथा शिकायत पत्र के प्रारूप की जानकारी जिले के लोगों तक पहुंचाने के लिए लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त ब्रोशर विकास अधिकारियों के माध्यम से जिले में ग्राम पंचायत मु यालयों पर चस्पा करवाए गए हैं।

लोकायुक्त दो बैठकें भी लेंगे

जिला कलक्टर एम.पी. स्वामी ने बताया कि लोकायुक्त न्यायमूर्ति जी.एल. गुप्ता 27 दिस बर, मंगलवार को अपराह्न 3 बजे जैसलमेर सर्किट हाउस में गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक लेंगे। बैठक में जनसुनवाई होगी तथा शिकायतें प्राप्त की जाएंगी। बैठक में गैर सरकारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव ही हिस्सा लेंगे। इस जन सुनवाई को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

जिलाधिकारियों की बैठक कलक्ट्री में

लोकायुक्त न्यायमूर्ति जी.एल. गुप्ता 27 दिस बर को अपराह्न 4.30 बजे जैसलमेर कलक्ट्री सभा कक्ष में जिलाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसमें जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित होंगे। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभाग/कार्यालय में लोकायुक्त सचिवालय से संबंधित कोई प्रकरण लंबित हो तो उससे संबंधित मूल पत्रावली एवं पूर्ण सूचना के साथ बैठक में उपस्थित होंगे।

लोकायुक्त संस्था के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

जिला कलक्टर ने जिले के तीनों विकास अधिकारियों को लोकायुक्त संस्था से संबंधित ब्रोशर भिजवाते हुए निर्देश दिए हैं कि इन्हें अपने क्षेत्र इन्हें अपने क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों पर 27 दिस बर से पूर्व चस्पा कराएं ताकि जिले के अधिकाधिक लोगों को लोकायुक्त सचिवालय में परिवाद प्रस्तुत करने की जानकारी हो सके।

'समय पर भेजे जांच रिपोर्ट'

भ्रष्टाचार रोकने में आमजन को करें जागरूक-लोकायुक्त

भरतपुर

alwar@patrika.com

लोकायुक्त न्यायमूर्ति जी. एल. गुप्ता ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग से संबंधी प्राप्त शिकायतों के बारे में मांगे गए प्रतिवेदनों को समय पर भिजवाएं ताकि समय पर शिकायत का निस्तारण किया जा सके।

न्यायमूर्ति गुप्ता बुधवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोकायुक्त सचिवालय की कार्यप्रणाली की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि वे शिकायतों के बारे में मांगे प्रतिवेदनों को गम्भीरता से लें। समय पर रिपोर्ट नहीं भेजने वाले अपने अधिनस्थ लोक सेवकों के खिलाफ भी वे विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत प्राप्त होती है उस पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस शिकायत का समय पर प्रति उत्तर भिजवाएं, जिससे उसका निस्तारण हो सके। उन्होंने सर्किट हाउस में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा

विभिन्न विभागों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता भी प्रतिपादित की। बैठक में संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह ने अधिकारियों से अधिनस्थ कार्यालयों की गतिविधियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर गौरव गोयल ने विश्वास दिलाया कि लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन समय पर भिजवाना सुनिश्चित किया जाएगा।

राज्य के लोकायुक्त न्यायमूर्ति गुप्ता ने बुधवार को इससे पूर्व सर्किट हाउस में गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में कहा है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं इसे रोकने में आमजन जागरूक रहकर सहयोग करें। इसके लिए आवश्यक है कि स्वयंसेवी संस्थाएं लोकायुक्त संस्था की कार्यप्रणाली एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त करने के तरीकों के संबंध में आमजन में जागरूकता लाने का संगठित प्रयास करें। इस अवसर पर वहाँ उपस्थित बडी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें लोकायुक्त को सौंपी।

भरतपुर सर्किट हाउस में बैठक में मौजूद एनजीओ सदस्य।